लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 3187

जिसका उत्तर बुधवार, 19 मार्च, 2025 को दिया जाएगा

मूल्य स्थिरीकरण निधि

3187. श्री राव राजेन्द्र सिंह:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने दालों, प्याज और आलू की आपूर्ति को विनियमित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की भविष्य में उपरोक्त वस्तुओं की कीमतों को विनियमित करने के लिए मूल्य स्थिरीकरण निधि का आबंटन जारी रखने की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री बी. एल. वर्मा)

(क) और (ख): कुछ कृषि-बागवानी वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव को स्थिर करने के लिए 2014-15 में मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) की स्थापना की गई थी। इस स्कीम के तहत पिछले कुछ वर्षों में दालों (अरहर, उड़द, मूंग, मसूर और चना) और प्याज का गतिशील बफर स्टॉक बनाया गया है। पीएसएफ के अंतर्गत बनाए गए बफर स्टॉक को अंशांकित तरीके से जारी किया जाता है, ताकि उपभोक्ताओं को किफायती मूल्य पर इन खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करके कीमतों को स्थिर और मूल्य अस्थिरता को कम किया जा सके। दालों की कीमतों को स्थिर करने और जमाखोरी को रोकने के प्रयास में, सरकार ने आयातकों, मिल मालिकों, स्टॉकधारकों, खुदरा विक्रेताओं, व्यापारियों सहित दालों की आपूर्ति श्रृंखला में शामिल विभिन्न संस्थाओं को उपभोक्ता मामले विभाग के स्टॉक घोषणा पोर्टल पर नियमित रूप से अपने स्टॉक के स्तर का खुलासा करने का निर्देश दिया है। इन उपायों का उद्देश्य बाजार में पारदर्शिता बढ़ाना तथा उपभोक्ताओं को किफायती मूल्य पर दालों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

(ग) और (घ): कृषि-बागवानी वस्तुओं में मूल्य स्थिरीकरण हस्तक्षेप के लिए 15वें वित्त आयोग चक्र के तहत 2025-26 तक, मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) को कृषि और किसान कल्याण विभाग के प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के उप-घटक के रूप में मंजूरी दी गई है। मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) स्कीम के तहत मूल्य हस्तक्षेप के लिए धनराशि वार्षिक बजटीय सहायता और बिक्री आय के संचय के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता को स्थिर करने के लिए हस्तक्षेप के लिए सरकार द्वारा पीएसएफ के तहत पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है। पिछले चार वर्षों में पीएसएफ के लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	वार्षिक बजट सहायता (करोड़ रुपये में)	बिक्री आय (करोड़ रुपए में)	कुल निधि (करोड़ रुपए में)
2021-22	2250.00	3939.00	6189.00
2022-23	0.01	4786.00	4786.01
2023-24	0.01	5967.00	5967.01
2024-25	7000.00	7073.00*	14073.00
2025-26#	4020.00	-	4020

* 2024-25 के लिए बिक्री आय 5.3.2025 तक है #2025-26 के लिए बजट अनुमान

******